विलो

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

157

न्यायालय मान० राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

पुनर्विलोकन क्रमांक /2006

रिव्यू 294-IV/06

1. शिवसिंह पुत्र रघुराज सिंह
2. गोविन्द सिंह पुत्र रघुराज सिंह
3. रुकामन पुत्री रघुराज सिंह
4. वेंकटसिंह पुत्र प्रतिपाल सिंह
5. महेश सिंह पुत्र प्रतिपाल सिंह
6. गुप्पी पुत्री प्रतिपाल सिंह

निवासी ग्राम लवकुश तहसील गुनौर
जिला - पन्ना (म०प्र०)

... आवेदकगण

म०प्र० राज्य द्वारा कलेक्टर पन्ना (म०प्र०)

... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि० 17-2-06 को प्रस्तुत।

रीडर
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

17 FEB 2006

मुकेश भार्गव
17-2-06 एडवोकेट
ग्वालियर

माननीय सदस्य, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक 1430-पी.बी.आर./03 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2005 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन पत्र ।

---x---

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है :-

17/2/06

1- यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रथम दृष्टया ही कुछ ऐसी भूलें हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2- यह कि, आवेदकगण द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई समस्त आपत्तियों का आदेश में न तो उल्लेख हो सका है और न ही

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 294–दो/2006 जिला–पन्ना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
–21–12–2016	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1430–पीबीआर/2003 में पारित आदेश दिनांक 03–11–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा न्यायालय राजस्व मंडल के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय अपर आयुक्त, सागर ने अपने आदेश दिनांक 06.04.84 द्वारा धारक द्वारा किये गये अन्तरणों को शून्य घोषित किया है। किन्तु प्रकरण संयुक्त परिवार के संबंध में होने से सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है। सक्षम प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29.12.99 द्वारा यह आदेश दिये कि धारक के संयुक्त कुटुम्ब होने या न होने के संबंध में	

कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो पेश कर सकता है और उन्होंने प्रकरण 21.01.2000 को नियत किया । सक्षम प्राधिकारी ने पुनः 24.05.2000 को संयुक्त परिवार के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये और प्रकरण 13.06.2000 को नियत किया । नियत दिनांक 13.06.2000 को सक्षम प्राधिकारी आदेश पत्रिका में यह अंकित किया कि–" इस प्रकरण में यह विनिश्चित किया जाना है कि धारक अथवा आवेदकगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे, जिसमें रघुराजसिंह, शिवसिंह व गोविन्दसिंह शामिलाती थे या अलग–अलग। अतः अनावेदक सजरा सहित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश करें। दिनांक 06.07.2000 नियत किया गया ।" आवेदकगण द्वारा दिनांक 26.08.2000 को गबाहान के बयान करायें। तत्पश्चात उन्होंने दिनांक 24.11.2000 को पटवारी ब्रह्मचारी तिवारी के कथन करायें, किन्तु आवेदकगण द्वारा धारित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। शिवसिंह एवं गोविन्द सिंह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में अलग–अलग भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इतना ही नहीं शिवसिंह ने बकंटसिंह को 10.812 है0 भूमि 300.00 में पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 20.04.72 द्वारा अन्तरित की गई, जिसमें भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होने के संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया। इसी प्रकार रघुराजसिंह ने तोड़नसिंह पुत्र शिवसिंह तथा मु0 छोटी बहू को दिनांक 09.08.65 को ग्राम लवकुश की भूमि वक्शीश की गई, जिसमें भी संयुक्त हिन्दू परिवार की होना अंकित नहीं गया गया।

इस प्रकरण में सिर्फ भूमियां राजस्व अभिलेख में अलग–अलग स्वामित्व में ही दर्ज नहीं है, बल्कि भूमियों का अन्तरण भी संयुक्त हिन्दू परिवार की हैसियत से न किया जाकर अभिलिखित भूमिस्वामियां द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, सागर ने राजस्व अभिलेख के प्रविष्टियों को मौखिक साक्ष्य के आधार पर बाद का विचार (After thought) होने से संयुक्त हिन्दू परिवार की होना मान्य नहीं किया है। इस संबंध में सीलिंग अधिनियम की धारा 2(छ–छ) का प्रावधान अवलोकनार्थ है कि– "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है पति, पत्नी और उनके अवयस्क बच्चे, यदि कोई हो। आवेदक शिवसिंह के परिवार में नियत दिनांक को वह स्वयं, उसकी पत्नी तथा एक नाबालिग पुत्र एवं 2 नाबालिग पुत्रियां होने से उसे सीलिंग अधिनियम की धारा 7(1)(ख) के तहत 54 एकड़ की पात्रता देते हुये 65–75 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसी प्रकार आवेदक गोविन्दसिंह के पास पात्रता से 20–10 एकड़ भूमि अधिक होने से उसे अतिशेष घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त सागर के उक्त आदेश को न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी मान्य किया गया एवं निगरानी अस्वीकार की गई है। मेरे मतानुसार न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–11–2005 विधिनुकूल होने से यथावत रखा

जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य